



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-148 / 2022
दिनांक : 10.11.2022

परिपत्र

पी-एच.डी. शोधार्थियों को नॉन नेट शोधवृत्ति प्रदान करने हेतु कुछ विभागों में सभी शोधार्थियों के लिए अलग पत्रावली में प्रक्रिया की जाती है, शोधवृत्ति के क्रियान्वयन के लिए व्यक्तिगत पत्रावली का प्रयोग किये जाने से उन विभागों के शोधार्थियों को नियमित रूप से शोधवृत्ति प्राप्त हो रही है। परंतु कुछ विभागों द्वारा सभी शोधार्थियों के नॉन नेट शोधवृत्ति के लिए एक ही पत्रावली में प्रक्रिया किये जाने के कारण किसी एक शोधार्थी के शोधवृत्ति फॉर्म में त्रुटि के कारण शोधवृत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में विलंब होता है।

अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि नॉन नेट शोधवृत्ति के समयानुसार भुगतान हेतु प्रत्येक शोधार्थी के लिए अलग पत्रावली में प्रक्रिया की जाये ताकि किसी एक शोधार्थी के शोधवृत्ति फॉर्म में त्रुटि के कारण अन्य को शोधवृत्ति भुगतान में विलंब न हों।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
10/11/22

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक
4. समस्त विभाग / अनुभाग / केंद्र
5. वित्त विभाग
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली